

## 駐印度台北經濟文化中心與印度台北協會 促進僱用印度勞工瞭解備忘錄

駐印度台北經濟文化中心(以下簡稱「TECC」)與印度台北協會  
(以下簡稱「ITA」),以下簡稱「雙方」,

鑒於雙方友好及合作關係;

期望藉由勞動力資源領域之合作,增進雙方現有之友善關係;

確保來自 ITA 所代表領域內之勞工在 TECC 所代表領域內工作  
之人身安全及自由;

認可密切合作之益處;

依據雙方現行法規,

同意如下:

第 1 條 本瞭解備忘錄之宗旨係為促進印度勞工之招募、安置及保護,並提供進一步發展互利關係之機會。

就本瞭解備忘錄而言:

「勞動契約」係指雇主與勞工簽訂之契約。

「雇主」係指根據 TECC 所代表領域之法律所成立之企業或任何在 TECC 所代表領域內提供勞工就業者。

「勞工」係指經雇主選任並依勞動契約受僱在 TECC 所代表領域內工作之印度公民。

第 2 條 雙方同意促進招募印度勞工至 TECC 所代表領域內工作,職業之種類及名額由 TECC 所代表領域自行決定。

第 3 條 獲准在 TECC 所代表領域內工作之勞工應有權享有與本國勞工同等待遇:當勞工進入 TECC 所代表領域內時,雇主於聘僱許可有效期內,應依據 TECC 所代表領域之法規,為勞工投保有關勞資關係及勞動條件、社會保障、健康、衛生、

工作場所安全及其他保障等一切事項之強制性社會保險。

受僱於 TECC 所代表領域內工作之勞工應遵守所有法律、法規、國家政策及聘僱相關規定。

勞工應在 TECC 所代表領域之貨幣規範範圍內，得將其所得以可匯兌之幣別匯出至印度。

前揭勞動契約內之任何條款不得影響雇主與勞工間已生效之勞動契約或使其無效。

雇主應確保其給付勞工之工資符合 TECC 所代表領域之工資水平規定。

第 4 條 雙方應提供具體有效之措施，保證勞工及雇主遵守 TECC 所代表領域之法規並履行勞動契約之義務。

雙方應遵守相關 ITA 所代表領域之法規，包括 2010 年「外國獻金（管制）法」及其所相關授權訂規定。

第 5 條 雙方應依據各自之國內法律，並依本瞭解備忘錄，採取必要措施，保護勞工並簡化勞工聘僱之程序。

第 6 條 在 TECC 所代表領域內，勞工與雇主間如發生勞資爭議時，應依據 TECC 所代表領域之法律及法規解決。

第 7 條 雙方同意在雙方代表領域內分別指定醫院對勞工進行健康檢查。對於健康檢查項目，指定醫院必須獲得認證機構根據國際實驗室認證聯盟/國家測試校正實驗室認證委員會（NABL）之相互承認協議授予之有效認證。

所有醫學健康檢查與流程，以及勞工之醫學健康檢查結果，應受雙方決定及認可之條款與條件拘束。

勞工在 TECC 所代表領域內發生的醫療費用，由符合現行規定的健康保險負擔。就勞工的生命及健康，應有完善的意外保險保障，由雇主在勞動契約期間內為勞工投保，並支付保費。保險給付範圍應涵蓋之費用，包括因意外所造成之健

康、死亡/失能等費用。健康保險未涵蓋之其他費用，應由雇主及勞工在 TECC 所代表領域之法規下，按各自應負擔額解決。此外，當勞工無力負擔費用時，應由 ITA 協助解決。

第 8 條 除現有招募制度外，雙方同意推動「直接聘僱計畫」，縮短流程、簡化文件及優先適用「續聘計畫」，並於雙方領域之法規允許下，擴大「直接聘僱計畫」之職業內容。

雙方應為「直接聘僱計畫」設立單一窗口及選工機制，以協助雇主及勞工完成招募手續。

第 9 條 適用本瞭解備忘錄之印度勞工得納入 TECC 所代表領域之相關國內法律，所建置之社會安全架構。

雙方同意防制勞工淪為被剝削及人口販運之被害人，並同意交換情報，促進宣導防制人口販運，並向被害人提供安全返回原籍國所需的旅行證件。

第 10 條 依據 TECC 所代表領域之法律及法規，無證件勞工於 TECC 所代表領域內之收容及遣送事宜，為 TECC 所代表領域之職責。無證件勞工應依法律支付收容及遣送之費用。如該勞工無力支付費用，ITA 應提供協助以促進清償。

ITA 應為提供協助並解決無證件勞工在 TECC 所代表領域內發生之醫療費用以促進清償。

第 11 條 本瞭解備忘錄所涉雙方相關主管機關應組成「聯合協調及資訊交換工作小組」(以下簡稱「聯合工作小組」)。

聯合工作小組將針對潛在職缺、業別、技能要求、雙方所代表領域之相關國內法律，以及任何會影響本瞭解備忘錄條文所列之程序，進行意見交換，並承擔解決任何窒礙難行事宜。聯合工作小組應一方之要求，並依雙方同意之條件及日期，每年應至少召開一次會議。

第12條 本瞭解備忘錄在解釋或執行時，如有任何疑義，雙方應經由諮詢或協商友好解決。

第13條 本瞭解備忘錄得修正或修改。任一方得以書面通知要求修改或修正本瞭解備忘錄。雙方依據各自法律及法規所同意之修改內容，應構成本瞭解備忘錄之一部分。

本瞭解備忘錄應自簽署日生效，有效期間為5年，經雙方同意可延長相同效期。任一方得於有效期間，且在終止日期至少90天前，以書面通知另一方終止本瞭解備忘錄。

為此，雙方代表各經正式授權，爰於本瞭解備忘錄簽署，以昭信守。

本瞭解備忘錄於西元2024年2月16日在新德里/台北以中文、印度文及英文簽署一式兩份，所有文本同一作準。倘遇解釋上歧異，應以英文本為準。



駐印度台北經濟文化中心代表 印度台北協會代表

葛葆萱

葛葆萱  
代表

Hyadav

葉達夫  
代表



द इंडिया टाइप एसोसिएशन

और

नई दिल्ली, भारत स्थित टाइप आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र

के बीच

भारतीय श्रमिकों को रोजगार की सुविधा प्रदान करने के संबंध में

समझौता ज्ञापन

टाइपे में भारत टाइप एसोसिएशन (जिसे इसके पश्चात "आईटीए" कहा गया है) और भारत स्थित टाइप आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र (जिसे इसके पश्चात "टीईसीसी" कहा गया है), जिन्हें इसके पश्चात "दोनों पक्षकार" कहा गया है,

दोनों पक्षकारों के बीच मैत्रीपूर्ण और सहयोगी संबंधों को ध्यान में रखते हुए;

जनशक्ति के क्षेत्र में सहयोग के माध्यम से दोनों पक्षकारों के बीच मौजूदा मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाने की इच्छा से;

आईटीए के प्रतिनिधित्व वाले भूक्षेत्र के श्रमिक, जो टीईसीसी के प्रतिनिधित्व वाले भूक्षेत्र में काम कर रहे हैं, की व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए;

घनिष्ठ सहयोग से होने वाले लाभों को पहचान करते हुए;

दोनों पक्षकारों के प्रचलित कानूनों और विनियमों के अनुसार,

निम्नवत सहमत हुए हैं:

### अनुच्छेद 1

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य कामगारों की भर्ती, तैनाती और संरक्षण की सुविधा प्रदान करना और पारस्परिक लाभ के लिए संबंधों को आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान करना है।

इस समझौता ज्ञापन के प्रयोजनार्थ:

"रोजगार का अनुबंध"से आशय नियोक्ता और कामगार के बीच किए गए रोजगार के अनुबंध से है।

"नियोक्ता"से आशय टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्र के कानूनों के तहत निगमित एक कंपनी या टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने वाले किसी भी एक कामगार से है।

"कामगार"से आशय भारत के एक नागरिक से है, जिसका चयन नियोक्ता द्वारा किया गया है और रोजगार के किसी अनुबंध के तहत टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्र में काम करने के लिए नियोक्ता द्वारा नियोजित किया जाना है।

## अनुच्छेद 2

दोनों पक्षकार टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्र में काम करने के लिए भारतीय कामगारों की भर्ती करने के लिए सहमत हैं; व्यवसाय श्रेणियां और कोटा टीईसीसी के स्व-निर्णय पर आधारित है।

## अनुच्छेद 3

जिन कामगारों को टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व वाले भू-क्षेत्र में काम करने की अनुमति है, वे घरेलू कामगारों के समान व्यवहार, नियोक्ता द्वारा अनिवार्य सामाजिक बीमा की खरीद के अध्येन जब कामगार टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व वाले भू-क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो संबंधित सभी मामलों के संबंध में रोजगार परमिट की वैध अवधि के दौरान टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्र के नियमों और विनियमों के तहत कामकाजी संबंध और स्थितियों, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कार्यस्थल संबंधी सुरक्षा और संरक्षण के हकदार होंगे।

टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्र में नियोजित कामगारों को रोजगार से संबंधित सभी कानूनों, नियमों, विनियमों, राष्ट्रीय नीतियों और निर्देशों का पालन करना होगा।

कामगार, टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्र के मौद्रिक विनियमों के मापदंडों के तहत, भारत में अपनी आय को परिवर्तनीय मुद्रा में स्थानांतरित करने में सक्षम होंगे।

रोजगार के अनुबंध की यथोपरि कोई भी निबंधन और शर्तें नियोक्ता और कामगार के मध्य लागू किसी भी मौजूदा रोजगार अनुबंध को प्रभावित या अमान्य नहीं करेगी।

नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि कामगार को दिया गया वेतन टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व वाले भू-क्षेत्र में वेतनमान पर लागू विनियमों के अनुसार है।

#### अनुच्छेद 4

दोनों पक्षकार टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्र के कानूनों और विनियमों के अनुपालन और कामगारों तथा नियोक्ताओं द्वारा अनुबंध दायित्वों की पूर्ति की गारंटी के लिए ठोस और प्रभावी उपाय प्रदान करेंगे।

दोनों पक्षकार विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 और उसके तहत बनाए गए नियमों सहित भारत ताइपे एसोसिएशन द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए क्षेत्र के प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का पालन करेंगे।

#### अनुच्छेद 5

दोनों पक्षकार कामगारों की सुरक्षा के लिए और संबंधित घरेलू कानूनों के अनुसार इस समझौता ज्ञापन में विनियमित कामगारों को काम पर रखने की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे।

#### अनुच्छेद 6

टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्र में कामगारों और नियोक्ताओं के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी श्रम विवाद को टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्र में कानूनों और विनियमों के अनुसार समाधान किया जाएगा।

## अनुच्छेद 7

दोनों पक्षकार ने कामगारों के लिए चिकित्सा जांच करने हेतु क्रमशः प्रत्येक पक्षकार द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्र में अस्पतालों को निर्दिष्ट करने पर सहमति व्यक्त है। स्वास्थ्य परीक्षण मदों के लिए, निर्दिष्ट अस्पतालों को अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग/राष्ट्रीय परीक्षण और जांच प्रयोगशाला किए गए प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) के पारस्परिक प्रत्यापन करार के तहत प्रत्यापन प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए वैध प्रत्यापन प्राप्त करना अपेक्षित है।

सभी चिकित्सा परीक्षण और प्रक्रियाओं के साथ-साथ कामगारों की चिकित्सा परीक्षाओं के परिणाम दोनों पक्षकारों द्वारा निर्धारित और प्रत्यापन प्राप्त निबंधन एवं शर्तों द्वारा शासित होंगे।

टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्र में कामगारों द्वारा किए जाने वाले चिकित्सा व्यय को मौजूदा नियमों के अनुरूप स्वास्थ्य बीमा द्वारा वहन किया जाएगा। कर्मचारियों के पास दुर्घटना बीमा द्वारा एक अच्छा जीवन एवं स्वास्थ्य कवर होना चाहिए, जो कर्मचारी और नियोक्ता के बीच निष्पादित हो और अनुबंध की अवधि के दौरान नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया हो। बीमा में स्वास्थ्य, मृत्यु/दुर्घटना आदि के कारण अपंगता आदि के खर्चों सहित व्यय शामिल होने चाहिए। स्वास्थ्य बीमा द्वारा कवर नहीं किए गए किसी भी अन्य खर्च को नियोक्ताओं और कामगारों के मध्य उनके संबंधित अंशदान के संबंध में टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्र के कानूनों और विनियमों के अनुसार हल किया जाएगा। इसके अलावा, जब कामगार व्यय वहन कर पाने में सक्षम ना हो, तो इसे आईटीए के सहयोग से हल किया जाएगा।

## अनुच्छेद 8

मौजूदा भर्ती प्रणाली के अलावा, दोनों पक्षकार प्रत्यक्ष भर्ती कार्यक्रम को बढ़ावा देने, प्रक्रियाओं को छोटा करने, दस्तावेजों को सरल बनाने, पुनर्प्रवेश भर्ती कार्यक्रम को वरीयता देने और प्रत्यक्ष भर्ती कार्यक्रम में व्यवसाय की विषय-वस्तु का विस्तार करने के



लिए सहमत हैं जब इसे पक्षकारों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्रों के नियमों द्वारा अनुमति दी जाती है।

भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने में नियोक्ताओं और कामगारों की सहायता के लिए दोनों पक्षकार सीधी भर्ती कार्यक्रम एकल के लिए खिड़की और श्रम चयन तंत्र स्थापित करेंगी।

### अनुच्छेद 9

जिन भारतीय कामगारों पर यह एमओयू लागू होता है, वे टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व वाले भू-क्षेत्र के लागू घरेलू कानून (कानूनों) के तहत स्थापित सामाजिक सुरक्षा अवसंरचना के अधीन हैं।

दोनों पक्षकारों ने कामगारों को शोषण के साथ-साथ मानव तस्करी का शिकार बनने से रोकने और सूचना साझा करने, तस्करी के विरोध को बढ़ावा देने और पीड़ितों की सुरक्षित घर वापसी के लिए आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की।

### अनुच्छेद 10

टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्र के कानूनों और विनियमों के अनुसार, टीईसीसी के भू-क्षेत्र के भीतर गैर-दस्तावेज वाले कामगारों को आश्रय देने और प्रत्यावर्तित करने के मामलों की जिम्मेदारी टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्र की है। गैर-दस्तावेजी वाले कामगारों द्वारा आश्रय और प्रत्यावर्तन व्यय का भुगतान कानून के अनुसार किया जाएगा। उक्त कामगार के खर्चों का भुगतान करने में असमर्थ होने की स्थिति में, आईटीए निपटान की सुविधा के लिए सहायता प्रदान करेगा।

आईटीए टीईसीसी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्र के भीतर अपने गैर-दस्तावेजी वाले कामगारों द्वारा किए गए चिकित्सा व्यय के निपटारे की सुविधा के लिए सहायता प्रदान करेगा।

## अनुच्छेद 11

एक संयुक्त समन्वय और सूचना आदान-प्रदान कार्य समूह स्थापित किया जाएगा, (जिसका इसके बाद संयुक्त कार्य समूह के रूप में उल्लेख किया गया है), जिसमें इस समझौता ज्ञापन के संबंध में मामले से संबंधित दोनों पक्षकारों के संबंधित प्राधिकारी शामिल होंगे,

संयुक्त कार्य समूह संभावित रिक्तियों, क्षेत्रों, कौशल आवश्यकताओं के साथ-साथ दोनों पक्षकारों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भू-क्षेत्रों में लागू घरेलू कानूनों और किसी भी प्रक्रिया के बारे में प्रासंगिक सूचना का आदान-प्रदान करेगा जो इस समझौता ज्ञापन में निर्धारित प्रावधानों को प्रभावित कर सकता है और किसी भी उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी लेगा।

संयुक्त कार्य समूह की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार, किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर, आपसी सहमति की शर्तों और तारीखों के अनुसार होगी।

## अनुच्छेद 12

इस समझौता ज्ञापन के निर्वचन या कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को दोनों पक्षकारों के बीच परामर्श या बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा।

## अनुच्छेद 13

इस समझौता ज्ञापन में संशोधन या परिशोधन किया जा सकता है। कोई भी पक्षकार लिखित में संशोधन या परिशोधन का अनुरोध कर सकता है। दोनों पक्षकारों के कानूनों और विनियमों के अनुरूप दोनों पक्षकारों द्वारा सहमत कोई भी संशोधन इस समझौता ज्ञापन का एक अभिन्न अंग होगा।

यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तारीख से पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा, जो दोनों पक्षकारों के आपसी समझौते द्वारा समान अवधि के लिए विस्तार के अधीन होगा।

कोई भी पक्षकार वैधता की अवधि के भीतर और समाप्ति की तारीख से कम से कम नब्बे (90) दिन पहले लिखित नोटिस देकर इस समझौता ज्ञापन को समाप्त कर सकता है।

जिसके साक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी ने विधिवत प्राधिकृत होते हुए इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली/ताइपे में 2024.2.16 पर चीनी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में दो प्रतियों में हस्ताक्षरित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। निर्वचन में भिन्नता के मामले में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

ताइपे में भारत ताइपे एसोसिएशन की ओर से

भारत स्थित ताइपे आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र की ओर से

葛葆莹

M. Yadav

गौशुआन गेर  
प्रतिनिधि

मनहरसिंह लक्ष्मणभाई यादव  
महानिदेशक

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
BETWEEN  
The Taipei Economic and Cultural Center in New Delhi, India  
AND  
The India Taipei Association  
ON  
THE FACILITATION OF EMPLOYMENT OF INDIAN WORKERS

The Taipei Economic and Cultural Center in India (hereinafter called "TECC") and the India Taipei Association in Taipei (hereinafter called "ITA"), hereinafter called "the Parties",

**Considering** the friendly and cooperative relations between the Parties;

**Desiring** to enhance the existing friendly relations between the Parties through cooperation in the field of manpower;

**Ensuring** the personal safety and freedom of the workers from the territory represented by ITA, who are working in the territory represented by TECC;

**Recognizing** the benefits to be derived from close cooperation;

**Pursuant** to the prevailing laws and regulations of the Parties,

**HAVE AGREED AS FOLLOWS:**

**Article 1**

The objective of this Memorandum of Understanding is to facilitate recruitment, placement, and protection of workers and to provide opportunities to further relations for mutual benefit.

For the purposes of this Memorandum of Understanding:

"Contract of Employment" means the Contract of Employment entered into between the Employer and the Worker.

"Employer" means a company incorporated under the laws of territory represented by TECC or any person providing employment in territory represented by TECC to a Worker.

"Worker" means a citizen of India, selected by the Employer, to be employed by the Employer to work in the territory represented by TECC under a Contract of Employment.

### **Article 2**

The Parties agree to facilitate recruitment of Indian Workers to work in the territory represented by TECC; occupation categories and quota is at the discretion of TECC.

### **Article 3**

Workers who are permitted to work in the territory represented by TECC shall be entitled to equal treatment as accorded to domestic workers, subject to purchase of obligatory social insurance by the employer when the Worker enters the territory represented by TECC as regards to all matters pertaining to working relations and conditions, social protection, health, hygiene, workplace safety and the protection under the laws and regulations of the territory represented by TECC during the valid period of the employment permit.

The Workers employed in territory represented by TECC shall comply with all laws, rules, regulations, national policies and directives relating to employment.

The Workers shall, within the parameters of the monetary regulations of territory represented by TECC, be able to transfer their income in a convertible currency to India.

Any term and condition of the Contract of Employment as above shall not affect or invalidate any existing Contract of Employment in force between the Employer and the Worker.

The Employer shall ensure that the salary given to the Worker complies with the regulations applicable to the salary scale in the territory represented by TECC.

#### **Article 4**

The Parties shall provide concrete and effective measures to guarantee compliance with the laws and regulations of the territory represented by TECC and fulfillment of contract obligations by Workers and Employers.

The Parties shall adhere to relevant laws and regulations of the territory represented by ITA including The Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 and rules made thereunder.

#### **Article 5**

The Parties shall take necessary measures to protect Workers and to simplify procedures of hiring Workers as regulated in this MOU in accordance with respective domestic laws.

#### **Article 6**

Any labour disputes which may arise between Worker (s) and Employer(s) in the territory represented by TECC shall be resolved according to the laws and regulations in the territory represented by TECC.

#### **Article 7**

The Parties agree to designate hospitals in the territory represented by each Party respectively to carry out medical examinations for Workers. For health examination items, designated hospitals are required to obtain valid accreditation granted by accreditation authorities under the mutual recognition agreement of the International Laboratory Accreditation Cooperation/ National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL).

All medical examinations and the procedures as well as the result of medical examinations of Workers shall be governed by the terms and conditions determined and recognized by the Parties.

Medical expenses incurred by Workers in the territory represented by TECC shall be borne by the health insurance in conformity with existing regulations. The workers should have a sound life and health cover

by accident insurance, executed between the worker and the employer and paid by the employer during the period of the contract. Insurance should cover the expenses, including expenses on account of health, death/disability on account of accident etc. Any other expenses not covered by the health insurance shall be resolved between employers and Workers with respect to their respective shares according to the laws and regulations of the territory represented by TECC. Moreover, when the workers cannot afford the expenses, it shall be resolved with the support of ITA.

#### **Article 8**

Besides the existing recruitment system, the Parties agree to promote Direct Hiring Program, to shorten the procedures, simplify the documents, to give the precedence to the Re-entry Hiring Program, and to expand the contents of occupation in the Direct Hiring Program when it is permitted by the regulations of the territories represented by the Parties.

The Parties shall set up a one-stop window and labor selection mechanism for the Direct Hiring Program to assist Employers and Workers in completing the recruitment processes.

#### **Article 9**

The Indian Workers to whom this MOU applies are subject to the social security framework established under the applicable domestic law(s) of the territory represented by TECC.

The Parties agree to prevent Workers from becoming the victim of exploitation as well as human trafficking, and to share information, to promote anti-trafficking and to provide the needed travel documents to victims for safe return.

#### **Article 10**

According to the laws and regulations of the territory represented by TECC, the matters in sheltering and repatriating undocumented Workers

within the territory of TECC are the responsibility of the territory represented by TECC. The shelter and repatriation expenses shall be paid by the undocumented Workers in accordance with the law. In case of the said Worker cannot afford to pay the expenses, ITA shall provide assistance to facilitate settlement.

ITA shall provide assistance to facilitate settlement of medical expenses incurred by its undocumented Workers within the territory represented by TECC.

### **Article 11**

A Joint Coordination and Exchange Information Working Group shall be established, (hereinafter called Joint Working Group), comprising the relevant authorities from the Parties in matters regarding this MOU.

The Joint Working Group will exchange relevant information about prospective vacancies, sectors, skill requirements as well as the applicable domestic law(s) of the territories represented by the Parties and about any procedures that can affect the provisions set out in this MOU and undertakes to solve any arising difficulties.

The Joint Working Group shall meet, at least once a year, upon request of any of the Parties, in accordance with the conditions and dates mutually agreed.

### **Article 12**

Any disputes arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultation or negotiation between the Parties.

### **Article 13**

This Memorandum of Understanding may be amended or revised. Either Party may request the revision or amendment in writing. Any revision agreed by the Parties in conformity with the laws and regulations of the Parties shall form an integral part of this Memorandum of Understanding.



This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of five (5) years from the date of signature, subject to extension for equal periods by mutual agreement of the Parties. Either Party may terminate this Memorandum of Understanding by giving written notice within the period of validity and at least ninety (90) Days prior to the date of termination.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized, have signed this Memorandum of Understanding.

DONE at NEW DELHI / TAIPEI on the 2024. 2. 16 in duplicate in the Chinese, Hindi and English languages with all texts being equally authentic. In case of divergent interpretation, the English text shall prevail.

For the Taipei Economic and Cultural Center  
In India

葛葆莹

Baushuan Ger  
Representative

For the India Taipei Association in Taipei

Manharsinh Laxmanbhai Yadav

Manharsinh Laxmanbhai Yadav  
Director General